ईएसआई हैल्थ केयर में 11 डॉक्टरों का तबादला

मज़दूरों से दुश्मनी निकाल रही हरियाणा सरकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा सरकार के ईएसआई हैल्थ केयर विभाग ने एन एच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत अपने 11 डॉक्टरों को वापस बुला लिया है। ये सभी डॉक्टर उस वक्त से ईएसआई कार्पोरेशन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हो गये थे जब हरियाणा सरकार ने एनएच 3 के इस अस्पताल को कार्पोरेशन के हवाले कर दिया था। एक-दो जूनियर डॉक्टरों को छोड़ कर कोई भी डॉक्टर कार्पोरेशन की नौकरी छोड़ कर वापस हरियाणा सरकार की सेवा में नहीं आना चाहता और यही वह कारण है जिसकी वजह से इनको वापस बुलाया जा रहा है। यदि कहीं ये लोग वापस आने को लालायित होते तो इन्हें कभी वापसी न करने दी जाती।

डॉक्टर वापस क्यों नहीं आना चाहते? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वापस बुलाये गये डॉक्टरों में से एक हैं डॉक्टर किरण बिशनोई। ये बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनका सारा काम एक्सरे, अल्ट्रासाऊंड एमआरआई, सीटी स्कैन आदि से जुड़ा होता है। इन उपकरणों के बिना ऐसे डॉक्टर की कोई उपयोगिता नहीं होती। एनएच-3 के अस्पताल में फ़िलहाल ये एक्सरे व अल्ट्रासाऊंड उपकरणों पर काम कर रही हैं तथा शीघ्र ही अन्य उपकरण आने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने इनको यहीं सेक्टर 8 के अस्पताल में तैनाती के आदेश दिये हैं जहां इनके विभाग से सम्बन्धित कोई उपकरण नहीं है और न ही कभी आने की सम्भावना है। ऐसे में ये डॉक्टर साहिबा वहां बैठ कर झख मारने के अलावा और क्या कर सकेंगी दूसरे वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जसवंत सिंह। ये बायोकेमिस्ट्री के विशेषज्ञ होने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर भी तैनात हैं। एमसीआई द्वारा किये गये निरीक्षणों में इनकी गिनती फ़ैकल्टी में दर्ज है। इनके यहां से हटने पर फ़ैकल्टी संख्या घटने से एमसीआई की उन शर्तों का उल्लंघन होगा जिनके आधार पर मेडिकल कॉलेज को चलाने की स्वीकृति मिली हुई है। एक तरफ़ तो यही हरियाणा सरकार अपने मेवात और खानपुर स्थित मेडिकल कॉलेजों में एमसीआई को फ़ैकल्टी दिखाने के लिये इधर-उधर के अस्पतालों से विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनात करती है, दूसरी तरफ़ यहां तैनात फ़ैकल्टी को सेक्टर 8 के अस्पताल में भेज रही है जहां इनके स्तर का काई काम नहीं है।

इसी तरह दो आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर, एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एक मेडिसिन विशेषज्ञ व एक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को भी सेक्टर 8 के इसी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरियों में भेजा जा रहा है। जहां इनके स्तर का न तो काम है ना ही माहौल है। यद्यपि ईएसआई कार्पोरेशन इन डॉक्टरों को रिलीव करने के मूड में नहीं है; फ़िर भी यदि ये रिलीव होकर अपनी नई तैनातियों पर आते हैं तो, एनएच-3 के अस्पताल में मरीज़ों को जो नुक्सान होगा वह तो होगा ही, लाभ सेक्टर 8 में भी कुछ होने वाला नहीं। यदि ये वरिष्ठ डॉक्टर नई तैनाती पर आते हैं तो उन्हें कैजुअल्टी में बैठाया जायेगा जहां केवल रैफ़र करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। यह काम साधारण जूनियर डॉक्टर कर सकते हैं बल्कि कर भी रहे हैं। संदर्भवश जूनियर डॉक्टर पड़ता है 60-70 हज़ार में जबकि ये सारे वरिष्ठ डॉक्टर पा रहे हैं सवा से डेढ लाख मासिक।

हरियाणा के इस हेल्थकेयर विभाग को चला रहा है खट्टर सरकार का श्रम विभाग। मुख्यमंत्री खट्टर की तो बात छोड़िये, श्रम मन्त्री कैप्टेन अभिमन्यु तक को फ़ुर्सत नहीं कि कभी झांक कर थोड़ा इस विभाग को भी देख लें। विभाग की सचिव शशि गुलाटी को तो वैसे ही काम में कोई रूचि नहीं। साल में 2-4 महीने उनके अमेरिका में ही बीतते हैं। ऐसे में हैल्थकेयर विभाग को छोटे-बड़े बाबू लोग ही चलाते हैं घूसखोरी में माहिर ये बाबू लोग कुछ का कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं।

ईएसआई कार्पोरेशन ने जनवरी 2016 में हरियाणा सरकार को लिखा था कि वह स्टाफ़ को स्थाई रूप से कार्पोरेशन में समाहित होने या न होने का विकल्प प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करे। यानी जो कार्पोरेशन में रहना चाहे वह स्थाई तौर पर रहे और जो राज्य सरकार के पास वापस जाना चाहे वह वापस जाय। लेकिन बाबू लोंग़ों ने उसका जवाब देने की अपेक्षा उक्त 11 डॉक्टरों को वापस आने के आदेश ज़ारी कर दिये। संदर्भवश इससे करीब डेढ वर्ष पूर्व भी 27 पैरा मेडिकल स्टाफ़ के वापसी आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किये थे। लेकिन, मात्र एक को छोड़ कर किसी ने भी वापस जाना स्वीकार नहीं किया और कार्पोरेशन ने उन्हें रिलीव नहीं किया।

इसे हरियाणा सरकार की अक्ल का दिवालियापन ही कहा जायेगा जो बेरोजगार युवाओं को भर्ती करने की अपेक्षा इस तरह के वाहियातपने के काम कर रही है। नालायक बाबुओं को इस बात की भी समझ नहीं कि कार्पोरेशन के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनियुक्त स्टाफ़ और मज़दूरों के बीच तालमेल बैठाने में उक्त पुराने डॉक्टरों की भूमिका कितनी अहम रही है।

पानी न हो तो प्यासे मरें, बरसे तो डूब कर

फ़रीदाबाद (म.मो.) सूखे से इस शहर की हालत बेशक लातूर व बुंदेलखंड जैसी तो नहीं, परन्तु पीने के पानी को लेकर लोग़ों के प्रदर्शन होना आम बात है। कड़ी दोपहरी में ऐसे प्रदर्शन कोई शौकिया तो नहीं करता। गर्मी के मौसम में पानी की भयंकर कमी से परेशान होकर ही लोग सड़कों पर उतरते हैं। भूजल का स्तर निरंतर गिरते जाने से ट्यूबवैल सूखने लगे हैं। नागरिकों को निजी ट्यूबवैल लगाने पर सख्त पाबंदी है, पुलिस को पैसा देकर यह पाबंदी हट जाती है।

प्यासी धरती और प्यासे लोग पानी बरसने की दुआयें मांगते हैं। लेकिन कुदरत का यह वरदान जब थोड़ा सा भी बरसता है तो लोग़ों के लिये तुरन्त अभिशाप बन जाता है। दिनांक 4 मई को आई एक हल्की सी बारिश ने शहर भर में अफ़रा-तफ़री मचा दी। शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिस पर जलभराव न हो। पुरानी व कच्ची कॉलोनियों की तो बात छोड़िये, नये बने तमाम सेक्टरों का बुरा हाल हो गया। गाड़ियां तो जैसे-तैसे निकल पा रही थीं, पैदल चलने वालों की दशा सबसे बुरी थी। मैगपाई के निकट बस या ऑटो से उतरने के बाद महज 125 मीटर के फ़ासले पर सेक्टर 16 ए स्थित राजकीय कॉलेज तक घुटने-घुटने पानी से होकर जाना पड़ता है। इससे बचना हो तो 10-20 रुपये रिक्शा वाले को दीजिये। लगभग सभी सेक्टरों व पूरे एनआईटी क्षेत्र की यही स्थित हर छोटी सी बरसात होने पर बनती है।

जलभराव के चलते नीलम पुल व बाटा पुल पर लम्बा जाम लग जाता है। दो मिनट का रास्ता तय करने में 20 मिनट लगते हैं। अजरोंदा की ओर से चढ़ते व उतरते समय स्थाई तौर पर जलभराव होता है। कारण? प्रशासन द्वारा कराये गये अवैध निर्माणों ने पानी के बहाव का रास्ता रोक दिया। एसजीएम नगर की एक कच्ची कॉलोनी में 2 से 4 वर्ष के दो भाई इसी बरसाती पानी से भरे एक गड्ढे में डूब कर मर गये। पूरे शहर की बिजली व पानी आपूर्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। कुल मिलाकर कुदरत का यह अनमोल तोहफ़ा आम जनता के लिये अभिशाप बन कर रह गया।

दरअसल इसे अभिशाप बनाया है लुटेरे, लालची व हरामखोर सत्ताधरियों ने, जो विकास के नाम पर विनाश तो कर ही रहे हैं वह भी जनता के पैसे से। नगर निगम के क्षेत्र में कभी 145 से अधिक जोहड़ होते थे। कुदरती तौर पर बने इन जोहड़ों में बरसात का पानी अपने आप बह कर एकत्र हो जाता था, किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। उस वक्त के लोग़ों ने पानी के बहाव में बिना कोई रूकावट पैदा किये अपनी बस्तियां बसाई थीं। इससे एक ओर जहां जलभराव का संकट नहीं होता था, दूसरे भूजल का स्तर बना रहता था। लेकिन नालायक एवं लालची अफ़सरों व नेताओं ने पहले तो तमाम जोहड़ों को सीवर एवं गंदगी से सड़ाया फ़िर उससे छुटकारा दिलाने के नाम पर उन्हें बेच खाया।

सीवरेज की तर्ज पर ही बरसाती पानी की निकासी के नाम पर सैंकड़ों करोड़ की भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था बना दी गयी। सारी बेकार; क्योंकि वह जल निकासी के लिये नहीं बल्कि बजट को हड़पने के लिये बनाई गयी थी। यदि लुटेरे शासक वर्ग की नीयत साफ़ और जनविरोधी न होती तो ड्रेनेज व्यवस्था की जरूरत ही नहीं थी। पानी तो खुद-ब-खुद अपना रास्ता बना लेता है। योजनाकारों को तो बस इतना भर करना था कि उसके बहाव में रूकावट न आये।

पिछले करीब 10 वर्ष पूर्व इन योजनाकारों को यह समझ में आया कि बरसाती पानी को ड्रेन-आउट करने की बजाय भूमि में उतारा जाय। लेकिन इस समझ से भी इन लोग़ों ने अपनी लूट कमाई बढ़ानी शुरू कर दी। नये मकान बनाने वालों को आदेश दिया गया कि वे अपने घर में इस (रेनहार्वेस्टिंग) सिस्टम की व्यवस्था करें। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की तो मौज लग गयी। उनकी कमाई का एक और जरिया बन गया। लेकिन जब शहर भर के बरसाती पानी का मुद्दा उठा तो नगर-निगम ने शहर भर में करीब 150 रेनहार्वेस्टिंग स्सिटम बनाने पर 3 करोड़ रूपये ठिकाने लगा दिये। गत 3-4 वर्षों में बने इन सिस्टमों में आज तक एक बूंद पानी नहीं उतर पाया, क्योंकि ये बनाये ही केवल खानापूर्ति एवं बजट डकारने के लिये थे। इतना ही नहीं जिन सार्वजनिक पार्कों में इन्हें बनाया गया है वहां बरसाती पानी के साथ-साथ सीवर का गंद भी आकर सड़ता है।

यह सब कोई चोरी-छिपे नहीं बल्कि चौड़े में हो रहा है; परन्तु किसी जनप्रतिनिधि एवं अफ़सर को दिखाई नहीं देता। हां स्मार्ट सिटी के नाम पर डकारने हेतु 2-4 हज़ार करोड़ और पाने के फ़ेर में लगे हैं।

लंगड़े-लूले कानूनों की परवाह नहीं करते शिक्षा व्यापारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) शिक्षा का सत्यानाश करने का बीड़ा उठा चुकी सरकार ने सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है। इसके चलते शिक्षा व्यापारियों ने कुकरमुत्तों की तरह स्कूल खोल दिये हैं। पॉश इलाकों में जहां दस हज़ार मासिक फ़ीस वाले स्कूल हैं तो कच्ची कॉलोनियों में दो से पांच सौ रुपये वाले भी हैं। पढ़ाने वाले बेशक दसवीं फ़ेल हों परन्तु स्कूल को अंग्रेज़ी माध्यम का बताया जाता है।

निजी स्कूलों की अंधी लूट व शिक्षा से वंचित होती जागरूक जनता जब संगठित होने लगी तो पाखंडी शासक वर्ग ने कुछ लंगड़े-लूले कानून बना दिये। ऐसा ही एक 'शिक्षा का अधिकार एक्ट' है तो दूसरा हरियाणा स्कूल शिक्षा एक्ट 1995 है। इनमें बताये गये कानूनों की उल्लंघना करने पर किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान नहीं है। प्रावधान है केवल स्कूल की मान्यता रद्द करने का जो आज तक किसी की हुई नहीं।

हरियाणा स्कूल शिक्षा एक्ट 1995 के रूल 158 व 160 के तहत कोई भी स्कूल एक बार दाखला फ़ीस व हर माह केवल ट्यूशन फ़ीस ले सकता है, जिसे वह अपनी मन-मर्जी से बढा नहीं सकता। रेडक्रॉस, खेल व छात्र कल्याण फंड भी केवल सरकार की मंजूरी से ले सकते हैं और उसे भी सरकारी शिक्षा विभाग में जमा करायेंगे। लेकिन, लगभग सभी सकूल इस कानून का उल्लंघन करके हर साल दाखला फ़ीस, बिल्डिंग फ़ंड, मैगज़ीन फंड, रेड क्रास फंड, स्पोर्टस फंड, छात्र फंड और न जाने क्या-क्या फंड के नाम पर धड़ल्ले से वसूली करते हैं। जिन अधिकारियों का दायित्व कानून लागू कराने का है वे लूट में से अपना हिस्सा लेकर खामोश रहते हैं।

स्कूल की वर्दी व किताब कॉपियों के नाम पर भी भारी लूट मचाई जाती है। प्रत्येक वर्ष नहीं तो हर दूसरे-तीसरे वर्ष वर्दी बदल दी जाती है जो केवल स्कूल से ही मिलती है। जब तक उस तरह की वर्दी खुले बाज़ार में आ पाती है तब तक स्कूल उसे बदलने का निर्णय ले चुका होता है। किताब तो हर साल बदलनी ही हैं। जबकि कानूनन उन्हें सरकारी किताबें लगानी चाहियें लेकिन ये लगवाते हैं अपने खुद के प्रकाशनों की किताबें। पहले एक किताब को 2-3 साल तक एक के बाद एक कक्षा वाले बच्चे पढ लेते थे परन्तु अब एक बार पढ़ने के बाद किताब बेकार हो जाती है। जबकि इनकी कीमत दस-दस गुणा अधिक होती है।

कानून की उल्लंघना एवं उसका मजाक उड़ाये जाने का एक ताज़ा मामला अभी हाल ही में सामने आया है। सेक्टर 16 ए स्थित सेंट कोलम्बस स्कूल के दो बच्चों (9 व 7 वर्षीय) के अभिभावकों ने सरकार के कानून के मुताबिक ट्यूशन फ़ीस व बस का भाड़ा बजरिया चेक स्कूल को दिया तो स्कूल ने उसे लौटा दिया। स्कूल की मांग कि तमाम तरह के फ़ंड व दाखला फ़ीस देनी होगी। स्कूल की मांग पूरी न होने पर स्कूल वालों ने बच्चों के गले में फ़ीस न देने व नाम काटने का पट्टा लटका कर फ़ोटो खिंचवाया, उन्हें प्रताड़ित व अपमानित किया। व स्कूल से नाम काट दिया। जबकि आरटीई (शिक्षा का अधिकार) एक्ट के मुताबिक किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जा सकता और उसे स्कूल आने से रोका नहीं जा सकता। फ़ीस न दे पाने पर बच्चे को प्रताड़ित करना जुवेनाइल जस्टिस कानून का उल्लंघन है।

उक्त सेंट कोलम्बस स्कूल ने सभी कानूनों का एक साथ उल्लंघन कर दिया। ज़िला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम से, कानून का हवाला देकर, शिकायत की गयी। लेकिन किसी ने भी सिवाय समय खराब करने व टर्कालॉजी मारने के कुछ नहीं किया। बच्चों को प्रताड़ित करने व नाजायज़ पैसा ऐंठने की शिकायत पुलिस में की गयी तो वहां भी यही हाल था। थक-हार कर अब मामला सिविल कोर्ट में दायर किया गया है। इसी कोर्ट ने दिनांक 11 मई को सेक्टर 17 स्थित माडर्न स्कूल के भी एक ऐसे ही मामले में बच्चों को पुन: दाखिल करने के साथ-साथ नियमानुसार फ़ीस लेने के आदेश ज़ारी किये हैं।

कानूनन कोई भी स्कूल मुनाफ़ा नहीं कमा सकता और नहीं स्कूल के पैसे को बाहर कहीं लगा सकता है। इसके बावजूद लगभग सभी स्कूल मोटा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। स्कूल से कमाया पैसा अन्य धंधों में लगाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीपीएस स्कूल के पास आज के दिन 76 करोड़ से अधिक मुनाफ़ा एकत्र हो चुका है। यदि लूट का स्तर ज्यों का त्यों बना रहा तो यह शीघ्र ही दोगुणा और चौगुणा हो जायेगा।